राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 171/2011/कोटा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, कोटा .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शिव एडीवल लिमिटेड,
रानपुर, कोटा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय सदस्य

उपस्थित :

श्री अनिल पोखरणा
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24.01.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 62/वैट/2009–10/कोटा में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 08.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन कोटा, (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2007 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान मूल्य परिविर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 58 एवं 55 के तहत प्रस्तुत अपील को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि 2006–07 की प्रथम तिमाही का कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.01.2007 पारित किया गया था इसमें कायम मांग राशि में से रूपये 7,42,500/– दिनांक 08.04.2008 को जमा करायी गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे 422 दिन विलम्ब से जमा मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर राशि रूपये 1,03,014/– का ब्याज आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही का कर 422 दिन विलम्ब से जमा करवाया, जिस पर ब्याज रूपये 1,03,014/– आरोपणीय है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित वर्ष 2006–07 की प्रथम तिमाही का कर निर्धारण आदेश भी अन्तिम कर निर्धारण आदेश में शामिल है इसलिये उक्त अस्थाई कर निर्धारण आदेश में आरोपित ब्याज राशि स्वतः ही समाप्त हो गयी है। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

निरन्तर 2

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.01.2007 को पारित आदेश से कायम मांग रूपये 742500/– दिनांक 08.04.2008 को जमा कराई गई है जो 422 दिन विलम्ब से होने के कारण ब्याज रूपये 103014/– आरोपित किया गया था वर्ष 2006–07 का सम्पूर्ण वर्ष का कर निर्धारण दिनांक 23.09.2009 के विरूद्ध अपील संख्या 104/वैट/2009–10/कोटा दायर की गई थी। जिसे अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 26.02.2010 द्वारा स्वीकार की जाकर DOC निर्माण काम में ली गई तिलहन पर रिवर्स किए गए आईटीसी को अनुचित मानते हुए अपील स्वीकार की गई तथा आरोपित शास्ति को भी समाप्त किया गया है। इसी क्रम में अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2010 द्वारा ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन दिनांक 08.12.2011 को पारित करते हुए आरोपित ब्याज को समाप्त कर दिया है। अतः अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील **"सारहीन" (Infructuous)** हो गयी है।

8. परिणामतः अपील सारहीन हो जाने के फलस्वरूप अस्वीकार की जाती है ।
निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य